न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 504 / 2023

अनवान : –

1. साहब राम पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी किकंराली तहसील नोहर।
2. हरिकृष्ण पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी किकंराली तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. शिशपाल पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी किकंराली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. अमरसिंह पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी किकंराली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. जैता देवी पत्नी बलवीर जाति जाट निवासी किकंराली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. राजबाला पुत्री बलवीर जाति जाट निवासी किकंराली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. हनुमान पुत्र बलवीर जाति जाट निवासी किकंराली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. संतोष पुत्री भादरराम जाति जाट निवासी प्रेमनगर गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
7. गुड्डी पुत्री भादरराम जाति जाट निवासी प्रेमनगर गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
8. बंशीलाल पुत्र कलावती पुत्री भादर,ख्राम जाति जाट निवासी प्रेमनगर गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
9. भागीरथ पुत्र कलावती पुत्री भादरराम जाति जाट निवासी प्रेमनगर गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
10. रोशनी पुत्री कलावती पुत्री भादरराम जाति जाट निवासी प्रेमनगर गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
11. माया पुत्री कलावती पुत्री भादरराम जाति जाट निवासी प्रेमनगर गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:18:52 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति [illegible] रवि[illegible] कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय

दि[illegible] 30/10/2023

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा किकंराली तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 124/118 के कुल खसरे 7 का कुल क्षेत्रफल 22.726 है0 भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि वादी के पिता मृतक भादर पुत्र गणपत के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। वादी के पिता भादर पुत्र गणपत का स्वर्गवास हो चुका है तथा जिनके स्वर्गवास के बाद साहबराम, हरिकृष्ण शिशपाल, अमरसिंह, बलवीर, कलावती, संतोष, गुडी हुए जिसमें से बलवीर पुत्र भादर फोत हो चुका है जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 है व कलावती पुत्री भादर फोत हो चुकी है जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 है।

प्रतिवादीया संख्या 6 व 7 जो कि वादीगण की बहिन है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपनो जो भी हक हिस्सा है परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने भाई व भाईयों के वारिसा के पक्ष में परित्याग कर चुकी है व प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 जो कि वादीगण बहिन कलावती के वारिस है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने मामा व उनके वारिसों के पक्ष में परित्याग कर चुके है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 6 ता 11 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग उपरोक्त भूमि में से 4/5 हिस्सा भूमि पर वादीगण संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ब0 हि0 ब0 काबिज है व 1/5 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 संयुक्त रूप से काबिज है। वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादीगण के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 2 ता 5 व 8 ता 11 ने जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को काई एतराज नही है। प्रतिवादीगण संख्या 1, 6, 7 की तरफ से अधिवक्ता श्री सुनील कटारिया ने वकालतनामा पेश कर इकबाल जवाब दावा पेश कर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1, 6, 7 को कोई ऐतराज नही है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:18:52 IST
Reason: SelfAttested

वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2073–76 रोही मौजा किंकराली खाता संख्या 124/118 प्रदर्श–1, मृत्यु प्रमाण पत्र बहक बलवीर प्रदर्श–2, मृत्यु प्रमाण पत्र कलावती प्रदर्श–3, मृत्यु प्रमाण पत्र भादरराम प्रदर्श–4, शपथ पत्र बाबत वारिसान प्रदर्श–5, वारिसान सूची प्रदर्श–6 आदि प्रदर्शित करवायें। प्रतिवादी संख्या 12 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादीगण की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है वादी के पिता भादरराम पुत्र गणपतराम का देहान्त हो चुका है। भादरराम पुत्र गणपतराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 जो वाद भूम को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 11 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण मे प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा किकंराली तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 124/118 के कुल खसरे 7 का कुल क्षेत्रफल 22.726 है0 भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि वादी के पिता मृतक भादर पुत्र गणपत के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है वादी का कथन है कि भादर पुत्र गणपत का देहान्त हो चुका है। भादर पुत्र गणपत के जायज वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 है जो की मृतक भादर पुत्र गणपत के नाम दर्ज भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 11 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। वादी के उक्त कथनो को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 द्वारा स्वीकार किया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सदस्य प्रमाण पत्र एवं प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार मृतक भादर पुत्र गणपत के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल जवाब [illegible] वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी [illegible] नही है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की [illegible] साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:18:52 IST
Reason: SelfAttested

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा किकंराली तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 124/118 के कुल खसरे 7 का कुल क्षेत्रफल 22.726 है0 भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि में मृतक भादर पुत्र गणपत का नाम कलमजन किया जाकर उपरोक्त भूमि में से 4/5 हिस्सा भूमि का वादीगण संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा 1/5 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 को संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 30/10/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:18:52 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 504/2023

अनवान : –

1. साहब राम पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी किकंराली तहसील नोहर।
2. हरिकृष्ण पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी किकंराली तहसील नोहर।

– **वादीगण**

बनाम्

1. शिशपाल पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी किकंराली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. अमरसिंह पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी किकंराली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. जैता देवी पत्नी बलवीर जाति जाट निवासी किकंराली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. राजबाला पुत्री बलवीर जाति जाट निवासी किकंराली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. हनुमान पुत्र बलवीर जाति जाट निवासी किकंराली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. संतोष पुत्री भादरराम जाति जाट निवासी प्रेमनगर गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
7. गुड्डी पुत्री भादरराम जाति जाट निवासी प्रेमनगर गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
8. बंशीलाल पुत्र कलावती पुत्री भादरराम जाति जाट निवासी प्रेमनगर गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
9. भागीरथ पुत्र कलावती पुत्री भादरराम जाति जाट निवासी प्रेमनगर गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
10. रोशनी पुत्री कलावती पुत्री भादरराम जाति जाट निवासी प्रेमनगर गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
11. माया पुत्री कलावती पुत्री भादरराम जाति जाट निवासी प्रेमनगर गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 540 सन 2023 निर्णय दिनांक 30/10/2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा किकंराली तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 [illegible] के कुल खसरे 7 का कुल क्षेत्रफल 22.726 है0 भूमि में से 1/6 हि[illegible] पुत्र गणपत का नाम कलमजन किया जाकर उपरोक्त भूमि में से 4/5 [illegible] संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषि[illegible] किये जाते है तथा 1/5 हिस्सा भूमि का

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:18:52 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 को संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/10/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:18:52 IST
Reason: SelfAttested